लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/भण्डार/डी/54/2018–19/675 भोपाल,दिनांक 19/12/2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।

विषयः–केन्द्रीयकृत बजट प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किये गये मद श्रेणीवार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी प्रदाय मद में बजट आहरण किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– आयुक्त,लोक शिक्षण का समसंख्यक निर्देशित पत्र क्रं./बजट/ग्लोबल प्रणाली/138 भोपाल, दिनांक 01.07.2016.

––0––

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न का अवलोकन करना चाहें। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं दैनिक राज एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुक्रम में म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संगठन के माध्यम से समय–समय पर कार्यालय को प्रेषित मांग–पत्र में अंकित अनुरूप यह अवगत कराया गया है कि **"शिक्षा विभाग में 20 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी की प्रतीक्षा"** प्रतिवर्ष शासन निर्देश अनुक्रम में हितग्राही पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी प्राप्त नहीं हो पा रही है तथा जिसके कारण वर्दी मद की विभाग अन्तर्गत प्राप्त राशि भी अनेक वर्षो से लैप्स हो रही है।

इस संबंध में आपको वस्तुस्थित से अवगत कराते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि कार्यालयीन पूर्व प्रेषित संदर्भित पत्र दि.01.07.2016 में स्पष्टतः अंकित है कि "कार्यालयीन वर्दी मद 'ग्लोबल मद शीर्ष अंतर्गत" है। अतः पूर्व संदर्भित पत्र के अनुपालन में नियमानुसार त्वरित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

'आयुक्त द्वारा निर्देशित'

(प्रभात आर तिवारी)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,म.प्र.

पृ.क्रमांक/भण्डार/डी/54/2018–19/676 भोपाल,दिनांक 19/12/2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक आयुक्त/संचालक(प्रशा.) लोक शिक्षण म.प्र.।
2. उप संचालक(लेखा) एवं आहरण संवितरण अधिकारी,लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र.।
3. सहायक संचालक(बजट) लोक शिक्षण (स्थानीय)म.प्र.।
4. समस्त प्राचार्य,हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल म.प्र.।
5. प्रांताध्यक्ष,लघु वेतन कर्मचारी संघ,म.प्र.।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण,म.प्र.

संचालनालय, लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

क्रमांक / बजट / ग्लोबल प्रणाली / 138 भोपाल, दिनांक 01 / 07 / 2016

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण ।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्यप्रदेश ।
3. समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी
   मध्यप्रदेश

विषय– **केन्द्रीयकृत बजट प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित किये गये मद मजदूरी, डाकतार व्यय एवं वर्दियों के आहरण किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश।**

म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक / 1949 / आर / 1133 / चार / ब–1 / 09 दिनांक 05.11.2012 की कंडिका 2 में निहित प्रावधान अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक / वि.स.प्र. / सें.ग्लो. / 2016–17 / 328 दिनांक 10.06.2016 द्वारा विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मजदूरी (मद 12–000) डाक तार व्यय (मद 12–001) एवं वर्दियॉ (मद 22–006) में प्राप्त बजट आवंटन को केन्द्रीयकृत बजट प्रणाली (ग्लोबल बजट सिस्टम) में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है (सुलभ संदर्भ के लिये छायाप्रति संलग्न है)। इन मदों में प्राप्त बजट आवंटन डी.डी.ओ. को पृथक पृथक आवंटित नहीं किये जाते एवं समस्त बजट आवंटन संचालनालय, कोष एवं लेखा के सेन्ट्रल सर्वर पर उपलब्ध रहता है। आहरण संवितरण अधिकारी अपनी प्रशासकीय आवश्यकताओं के अनुरूप संबंधित मद से आहरण, सुसंगत नियम, निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन एवं निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति उपरांत, कर सकते है। इस व्यवस्था में राशि के आहरण के पूर्व नियमानुसार समस्त प्रक्रियाओं के पालन सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख, आहरण संवितरण अधिकारी, लेखापाल, कैशियर तथा संबंधित लिपिक का होगा। उपरोक्त तीनों मदों में राशि के आहरण के मापदंड तथा प्रक्रिया पूर्व निर्धारित है । अतः इनका पालन अनिवार्य है।

2. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बजट में मजदूरी मद से भुगतान ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को किये जाने के निर्देश है जिन्हें सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दिनांक 31.12.1988 के पूर्व नियुक्त किये गये है। इसके अतिरिक्त इस मद से कार्यालयों की साफ–सफाई के लिये सक्षम अधिकारी के

निरन्तर.......2

स्वीकृति प्राप्त कर रखे गये अंशकालिक/पूर्णकालिक दैनिक वेतन भोगियों के पारिश्रमिक ही आहरित किये जा सकते है। बिना स्वीकृति के अन्य किसी प्रकार के कर्मचारियों का पारिश्रमिक/मजदूरी का आहरण किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। दैनिक वेतन भोगियों की मजदूरी/पारिश्रमिक के संबंध में यदि किसी प्रकरण में न्यायालयीन आदेश पारित किया जाता है तो पूर्ण वस्तुस्थिति अंकित करते हुये प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित कर अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही आहरण संभव हो सकेगा। इसी प्रकार शासकीय कर्मचारियों को वर्दी दिये जाने का प्रावधान तथा इसके क्रय इत्यादि की प्रक्रिया भी स्पष्ट है। अतः इसके पालन उपरांत ही इस मद से आहरण संभव है। डाकतार मद में भी मितव्ययिता के सिद्वांतों के अनुरूप शासकीय जावक व्यवस्था के लिये युक्तियुक्त रीति से किया जाना अपेक्षित है। अतः इस मद में भी आहरण के पूर्व पूर्ण सजगता बरती जावे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना कार्यालय प्रमुख का दायित्व होगा। यदि किसी भी प्रकरण में ग्लोबल मद से अनियमित आहरण की स्थिति पाई जाती है तो संबंधित के विरूद्व दायित्व निर्धारित करते हुये अनियमित/अनावश्यक रूप से आहरण की गई राशि की वसूली तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(नीरज दुबे)
आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 01/07/2016

पृष्ठां. क्रमांक/बजट/ग्लोबल प्रणाली/139
प्रतिलिपि :–

1. संचालक (प्रशासन) लोक शिक्षण, म.प्र.।
2. संचालक (अनुदान) लोक शिक्षण, म.प्र.।
3. उप संचालक (लेखा) एवं आहरण संवितरण अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र।
4. समस्त प्राचार्य, हायर सेकेन्ड्री/हाई स्कूल म.प्र.।

आयुक्त
लोक शिक्षण, म.प्र.